सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 14/2016 दिनांक 22.10.2016

O/o CE (EITC)
Receipt No. 5334
Date 17 NOV 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE
Section

SMT. ARCHANA GUPTA
FLAT-104, BLOCK-19
ASHOKA RATAN, KHAMARDI
RAIPUR, C.G.
PIN - 492007

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 09.11.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 14/2016 दिनांक 22.10.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी –

Monthwise Payment Details (Gross Salary, Arrears & GPF) of My Husband Ajay Kumar Gupta (A.E.) Testing Raipur (O&M) Employee No. 91511427 From 1991-92 to 2015-16.

उक्त जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त न होने के कारणवश मेरे द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत है, जिसे स्वीकार कर चाही गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./63–64/दिनांक 02.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 09.11.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। साथ ही दूरभाष के माध्यम से दिनांक 04.11.2016 को नियत सुनवाई तिथि के संबंध में अपीलार्थी को सूचना दी गई। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता अनुपस्थित रहें।

(4) उक्त श्रवण तिथि 09.11.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदिका श्रीमती अर्चना गुप्ता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी चाही गई है:–

Monthwise Payment Details (Gross Salary, Arrears & GPF) of My Husband Ajay Kumar Gupta (A.E.) Testing Raipur (O&M) Employee No. 91511427 From 1991-92 to 2015-16.

उपरोक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि आवेदिका द्वारा जानकारी बाबत् निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रूपये 10/– मात्र का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा किया गया जो "Assistant Manager, ED(HR), CSPHCL" के नाम से देय होने के कारण उक्त आवेदन को नियमानुसार स्वीकार किया जाना संभव नही था।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 06 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन पंजीयन शुल्क हेतु रूपये 10/–मात्र का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी यथा **सहायक प्रबंधक, छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर (Assistant Manager, CSPHCL, Raipur)** के नाम से देय हो किया जाना है, जिसकी जानकारी विद्युत कंपनी के वेबसाइट **www.cspc.co.in** पर होल्डिंग कंपनी के साइट में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैनुअल क्रमांक 03 पर उपलब्ध है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/2/2007–आई.आर. दिनांक 23.04.2007 के पैरा क्रमांक 03 के अनुसार **"सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनिमयन) संशोधन नियमावली, 2006 द्वारा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनिमयन) नियमावली, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु भुगतान का अनुमोदित तरीका, नकद भुगतान अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क स्वीकार न करना अथवा इस बात पर बल देना कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम से आहरित होना चाहिए, इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नही है।"** (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त परिस्थितिवश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7845 दिनांक 16.09.2016 के माध्यम से अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता को उनका आवेदन एवं संलग्नित भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/–मात्र सहित मूलतः उनके द्वारा दिये गये पते पर वापस करते हुए अवगत कराया गया कि उपरोक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नही है। यद्यपि उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर के (वित्त) कार्यालय से संबंधित है, अतएव उक्त कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि आवेदन पंजीयन शुल्क हेतु प्रेषित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (रूपये 10/– मात्र) जो लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय नही होने के कारण प्रकरण को पंजीबद्ध कर अधिनियम की धारा 06 की उपधारा 03 के अंतर्गत संबंधित कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अंतरित किया जाना संभव नही है।

(5) उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 09.11.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) उपस्थित एंव अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, . जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट . कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता द्वारा आवेदन दिनांक 06.09.2016 में निहित वांछित जानकारी हेतु नियमानुसार आवेदन पंजीयन शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय नही किया गया है, फलस्वरूप प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर अपीलार्थी को मूलतः वापस किया गया है, जो उचित परिलक्षित होता है, जो स्वीकार योग्य है।

अतएव प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कार्यवाही कर अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर वस्तुस्थिति से अवगत करायी गयी है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उनके आवेदन में वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है।

जैसा कि अपीलार्थी श्रीमती अर्चना गुप्ता पूर्व मौखिक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी नियत सुनवाई तिथि में बगैर सूचना के इस कार्यालय में अनुपस्थित रहीं। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 06.09.2016 में वांछित जानकारी हेतु पंजीयन शुल्क रूपये 10/–मात्र का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय नही किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 7845 दिनांक 16.09.2016 का अवलोकन किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 50/–मात्र का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय कर प्रस्तुत की गई है। चूंकि उपरोक्त वांछित जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नही है। अतएव अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक 18.10.2016 के साथ पूर्व आवेदन दिनांक 06.09.2016 एवं भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/–मात्र (क्रमांक 36F 396668) की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें संदेय (Pay to) Assistant Manager, CSPHCL, Danganiya के नाम से तथा आवेदिका का नाम Archna Gupta अंकित है। किंतु मूल आवेदन दिनांकित 06.09.2016 के साथ संलग्नित भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/–मात्र (क्रमांक 36F 396668) का अवलोकन किये जाने पर ज्ञातव्य है कि संदेय (Pay to) कॉलम में Assistant Manager, ED(HR), CSPHCL का नाम तथा आवेदिका का नाम Smt. Archna Gupta अंकित है, जो विरोधाभासी है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/–मात्र (क्रमांक 36F 396668) में अवांछित कांट–छांट/संशोधन की गई है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। अतः आपसे अपेक्षित है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यों की पुनरावृत्ति न करें।

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया है। अतएव उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

जहॉ तक प्रथम अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार की जाती है एवं अपील प्रकरण क्रमांक 14/2016 दिनांक 22.10.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

—सही/—
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574040

क्रमांक 01—02/अपील प्रकरण —14/2016/ 65 **रायपुर, दिनांक** 09/11/2016

प्रतिलिपिः—

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)—दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. **Smt. Archana Gupta, Flat No. 104, Block-19, Ashoka Ratan, Khamardi, Raipur, C.G.** को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निर्धारित पंजीयन शुल्क सहित निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः—

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष—0771—4024235,2444151

अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक —0771—2574040

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 141
दिनांक 20.7.08

फाईल संख्या-1/2/2007-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 23 मार्च, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के ध्यान में निम्न तथ्य लाए गए हैं :-

(i) कुछ लोक प्राधिकारियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अब तक लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को पदनामित नहीं किया है;

(ii) कुछ लोक प्राधिकारी भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में शुल्क की अदायगी स्वीकार नहीं करते हैं;

(iii) कुछ लोक प्राधिकारी अपने लेखा अधिकारी के नाम पर धारित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं करते हैं तथा इसे अपने आहरण तथा वितरण अधिकारी, अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी आदि के नाम से ही आहरित करने पर बल देते हैं; और

(iv) कुछ लोक प्राधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करते तथा इस बात पर बल देते हैं कि सूचना मांगने के लिए किया गया आवेदन केवल उनके द्वारा निर्धारित किसी प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाए।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर अपने अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक एककों अथवा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इसी तरह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर प्रत्येक उप-मण्डलीय स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधिनियमन को अब तक एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी तथा/अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनामित नहीं किया जाना इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है।

3. सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006 द्वारा यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु भुगतान का अनुमोदित तरीका, नकद भुगतान अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क स्वीकार न करना अथवा इस बात पर बल देना कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर, लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी

के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम से आहरित होना चाहिए, इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

4. धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहता है वो लिखित अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अथवा जिस स्थान पर आवेदन किया जा रहा है वहां की शासकीय भाषा में एक अनुरोध करेगा। सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम अथवा नियमों में सूचना मांगे जाने हेतु कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। इस आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाना कि वह निर्धारित प्रपत्र में नहीं है इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह अनुरोध है कि सभी लोक प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि :

(i) यदि अभी तक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित नहीं किए गए हैं तो उन्हें तुरंत पदनामित किया जाए। इन अधिकारियों का ब्यौरा बेवसाईट पर भी रखा जाए;

(ii) भारतीय पोस्टल ऑर्डर सहित नियमों में निर्धारित किसी भी तरीके से किया गया भुगतान स्वीकार किया जाए;

(iii) लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किए जाएँ;

(iv) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएं कि वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ।

*****